

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत
श्रीमति चम्पा देवी
उपखण्ड अधिकारी

मुकाम अजमेर

किस्म मुकदमा 88, , 188 नम्बर 33/2013.....सन बनाम अज्जी व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.09.2018	<p>श्री</p> <p>श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकिल वादीयों उपस्थित। राजकीय पेरोकार उपस्थित। राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक 2.5.2013 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 28.3.2014, 18.09.2017, 26.2.2018, 16.7.2018, 7.8.18 की पालना में आज दिवस तक प्रतिवागण की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं किए गए है। जिस हेतु वादीयों द्वारा आदेशिका दिनांक 28.3.2014 के पश्चात लगभग चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 28.3.2014, 18.09.2017, 26.2.2018, 16.7.2018, 7.8.18 की पालना नहीं कि गई है। जिस हेतु वादीगण को आदेशिका दिनांक 26.2.18, 16.7.2018, 7.8.2018, को पूर्व आदेश की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बावजूद भी वादीयों द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 28.3.14 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 7.8.2018 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने एवं चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। जिससे वादीयों उक्त वाद को चलाए जाने में किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृत होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादीगण का वादपत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर